

1

दिनांक : 20.04.2022

F.I.R.

(CR.P.C. 154)

प्रथम खबर

(फौजदारी कायदा कलम 154 अन्वये)

प्रति,

थाना-प्रभारी

पुलिस थाना - टोंकखुर्द,
जिला देवास, मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं चरण पिता मंदरूप [पता: ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455001 (मोब. 74402-50584)] सबूतों के साथ गुनाह की खबर दे रहा हूँ

A. गुनाह की खबर देने वाले का नाम व पता: चरण पिता मंदरूप

पता: ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना -
टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455001
मोब. 74402-50584

B. आरोपी का नाम व पता:

आरोपी नं. 1) जसोदा बाई पति मंदरूप

पता: ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द,
पुलिस थाना टोंकखुर्द, जिला देवास

आरोपी नं. 2) बलवान पिता देवीलाल

पता: ग्राम - सालम खेडी, जिला देवास

आरोपी नं. 3) माया पति बलवान

पता: ग्राम - सालम खेडी, जिला देवास

आरोपी नं. 4) नर्मदा पति स्व. ईश्वर

पता: ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द,
पुलिस थाना टोंकखुर्द, जिला देवास

आरोपी नं. 5) अंकित पिता ईश्वर

पता: ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द,

C. गुनाह करने की तारीखें:

1. दि. 07.10.2020 के दिन शाम 7 बजे आरोपियों [आरोपी नं. 1; आरोपी नं. 2; आरोपी नं. 3; आरोपी नं. 4 व आरोपी नं. 5] ने घर का दरवाजा तोड़ कर, घर के अन्दर घुसे और लकड़ी, पत्थर ईट आदि से हमला किया, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी और महिला को भी मारा साथ ही प्रार्थी व उसकी पत्नि को गंदी-गंदी व भद्दी-भद्दी गालियाँ दी।
2. दि. 07.10.2020 के दिन एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो पुलिस आई मगर शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा भ्रष्टाचार करते हुये बिना पंचनामा किये व FIR दर्ज किये वापस चली गई और ईमानदारी से अपनी झूठी नहीं निभाई।
3. दि. 07.10.2020 के दिन जब दूसरी बार एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा शिकायतकर्ताओं के साथ गली-गलोच किया और बिना अपनी झूठी निभाये वापस चले गये।

D. गुनाह के ठिकाना: चरण पिता मंदरूप के घर का दरवाजा तोड़कर वहाँ अपराध (मारपीट व गाली-गलौच) किया गया

पता : ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455001

E. गुनाह: 1. घर में घुसने के लिये घर का दरवाजा तोड़ा गया, प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और गंदी-गंदी गालियाँ दी गई।

2. गुनाह किस प्रकार किया गया :

- a. घर में घुसने के लिये घर का दरवाजा तोड़ा गया
- b. घर के अन्दर घुसे व लकड़ी, पत्थर ईट आदि से हमला किया साथ ही महिला को भी मारा और गंदी-गंदी गालियाँ दी गईं।
- c. एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो पुलिस आई मगर शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा भ्रष्टाचार करते हुये बिना पंचनामा किये व FIR दर्ज किये वापस चली गई और ईमानदारी से अपनी झूठी नहीं निभाई।
- d. जब दूसरी बार एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने

की अपेक्षा शिकायतकर्ताओं के साथ गली-गलोच किया और बिना अपनी झूठी निभाये वापस चले गये।

F. किये गये गुनाह की धारा: IPC की धारा 325, 326, 294, 395, 448, 452, 503, 506, 120(b) आदि

G. हकीकत:

दिनांक 07.10.2020 की शाम 7:00 बजे मेरी माताजी जसोदा बाई, मेरी बहन माया बाई, मेरे बहनोई बलवान, मेरी बहु (छोटे स्व. भाई की पत्नि) नर्मदा बाई व उनके लड़के हेमराज आदि पाँचों ने मेरे घर का दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अन्दर घुसे और लकड़ी, पत्थर ईट आदि से हमला किया, मारपीट की व हमें जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नि ने बीच बचाव किया, जिसकी वजह से इन पाँचों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया तो मैंने 100 नंबर पर फोन करके गाड़ी बुलवाई जब 100 नंबर की गाड़ी ग्राम - पांदा आई तब मेरी माताजी जसोदा भाई और बहनोई बलवान ने पुलिस को रिश्त देकर गाड़ी को वापस भिजवा दिया और पुलिस की गाड़ी बिना कोई कार्यवाही किए वापस चली गई लगभग 1 घंटे बाद फिर से मेरी माताजी, बहनोई बलवान, बहन माया बाई, बहु (स्व. भाई की पत्नि) नर्मदा बाई व उसके लड़के हेमराज आदि ने हम लोगों को गंदी-गंदी व भद्दी-भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिया तो मैंने और मेरी पत्नि ने, मेरे ससुरजी विक्रम सिंह को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताई जिसके बाद मेरे ससुरजी विक्रम ने 100 नंबर पर फोन किया तब 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी दुबारा हमारे घर पर आई, लेकिन इस बार भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और पुलिस की गाड़ी फिर से बिना कोई कार्यवाही किए वापस चली गई।

संबंधित मामले में IPC की धारा 325, 326, 294, 395, 448, 452, 503, 506, 120(b) आदि के तहत गुनाह है अतः उपरोक्त मामले में आरोपियों [आरोपी नं. 1) जसोदा बाई पति मंदरूप; आरोपी नं. 2) बलवान पिता देवीलाल; आरोपी नं. 3) माया पति बलवान; आरोपी नं. 4) नर्मदा पति स्व. ईश्वर; आरोपी नं. 5) अंकित पिता ईश्वर] के खिलाफ FIR दर्ज करते हुये कार्यवाही शुरू की जाये।



चरण पिता मंदरूप
मोब. 74402-50584

संलग्न दस्तावेज़:

1. दि. 12.10.2020 का शिकायत-पत्र

भारतीय डाक
India Post

EI0305806181N IVR:6973030580618
SP TARANA S.O (456665)
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONK KHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EI0305806666N IVR:6973030580666
SP TARANA S.O (456665)
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONK KHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
(Track or view indianpost.nov.in)

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EI0305806971N IVR:6973030580697
SP TARANA S.O (456665)
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONK KHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
(Track or view indianpost.nov.in)

प्रति

थाना प्रभारी महोदय

पुलिस थाना टोंक खुर्द जिला देवास

विषय :- प्रार्थीगन को प्रतिप्रार्थी एक साथ होकर शाम 7 बजे आकर घर में घुसकर लड़ाई झगडा किया और मारपीट की गयी तथा जान से खत्म करने की धमकी देकर परेशान व प्रताड़ित करने बाबद ।

महोदय ,

उपरोक्त विषय में निवेदन है की हम प्रार्थी चरण पिता मंदरूप जी उम्र 35 साल ,पत्नी सुनीता पति चरण निवासी पांदा का होकर मेरी पेत्रक भूमि ग्राम पांदामें है मेरे पिताजी की मृत्यु 08/04/2019 को हो गयी थी मेरे पिताजी की पेत्रक 6 बीघा जमीन है जिसमे से मेरे हिस्से १.५० बीघा जमिन मेरे हिस्से में आई थी में मेरे हिस्से में जो जमीन आई थी जिस पर में खेती कर रहा था लेकिन अब मेरी माताजी जसोदा बाई पति मंदरूप, जीजाजी बलवान पिता मंदरूप निवासी सालमखेडी ,मेरी बहन माया पति बलवान निवासी सालम खेडी मेरे भाई की पत्नी नर्मदा पति स्व. इश्वर निवासी पांदा एवं मेरा भतीजा अंकित पिता इश्वर द्वारा दिनांक ०७/१०/२०२० को शाम ७ बजे घर पर खाना खा रहे थे तभी इन लोगो द्वारा घर में घुस कर माँ बहन की नगगी उगादी गाली गलोच दी गयी और कहा की तू जमीन पर से राजी नामाँ करता है या नहीं नहीं तो तुझे जान से खत्म कर देंगे इस पर मेरे द्वारा कहा गया की मेने जमीन का प्रकरण न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील टोंक खुर्द पर चल रहा है ,एवं जो निर्णय तहसीलदार महोदय कर देंगे वह मुझे मान्य रहेगा इस बात को लेकर इन आरोपियोँ द्वारा मेरे घर पर लगा हुआ दरवाजा तोड़ दिया गया और घर के अन्दर घुस कर मेरे ऊपर लकड़ी ,पत्थर इट आदि से मेरे ऊपर हमला किया गया जिसमे मुझे चोट आई एवं मेरी पत्नी सुनीता द्वारा बिच बचाव किया गया तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया तथा उसी समय मेरे ससुर विक्रम पिता भेरुलाल द्वारा डायल १०० बुलाई गयी तभी जाकर झगडा खत्म हुवा नहीं तो वो लोग मुझे एवं मेरी पत्नी को जान से मार देते एवं दूसरी बार में डायल १०० को बुलाया गया तो गयी के आरक्षको द्वारा हमें गली गलोच की गयी । दुसरे दिन जब हम थाना टोंक खुर्द पहुचे तो हमें सुबह ८ बजे बिना रिपोर्ट लिखे भगा दिया गया । अत मेरा आपसे अनुरोध है की इन लोगो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे अन्यथा ये लोग मुझे और मेरे परिवार जान से मर देंगे ।

अत श्रीमान से निवेदन है की मुझे मेरी पेत्रक सम्पति में से हिस्सा दिलाने की कृपा करे क्योकि मेरे परिवार के गुजर बसर का बस यही १.५० बीघा जमीन ही सहारा है ।

धन्यवाद

प्राथी

12/10/20